अध्याय – V

कार्यकारी एजेंसियां-एक तुलनात्मक अध्ययन

कार्यकारी एजेंसियों अर्थात् सी.पी.डब्लू.डी. लोक निर्माण संगठन तथा अपने स्वयं की इंजीनियरी शाखा वाली सी.ए.पी.एफ. द्वारा कार्यों की योजना तथा निष्पादन में शामिल विषयों का विश्लेषण निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया गया था:

- प्राथमिक अनुमानों की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण
- स्थानीय प्रधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त न करना
- निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में अनियमितताएं/विलम्ब
- मदों/अतिरिक्त मदों/प्रतिस्थापित मदों में विचलन
- कार्य के समापन में विलम्ब
- विलम्बित निष्पादन के कारण पूर्ण कार्यों में लागत में बढ़ोतरी
- अनुमानों को अधिक बताए जाने के कारण पूर्ण कार्यों में बचतें

कार्यकारी एजेंसियों में कार्यकलापों की तुलना हेतु लेखापरीक्षा ने सी.पी.डब्ल्यू.डी., पी.डब्ल्यू.ओ. तथा इंजीनियरी शाखा वाले सी.ए.पी.एफ. द्वारा 2008-09 से 2013-14 की अवधि के दौरान निष्पादित ₹10 लाख से अधिक राशि वाले 710 कार्यों का चयन किया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट-5.1: कार्यकारी एजेंसी-वार चयनित कार्य

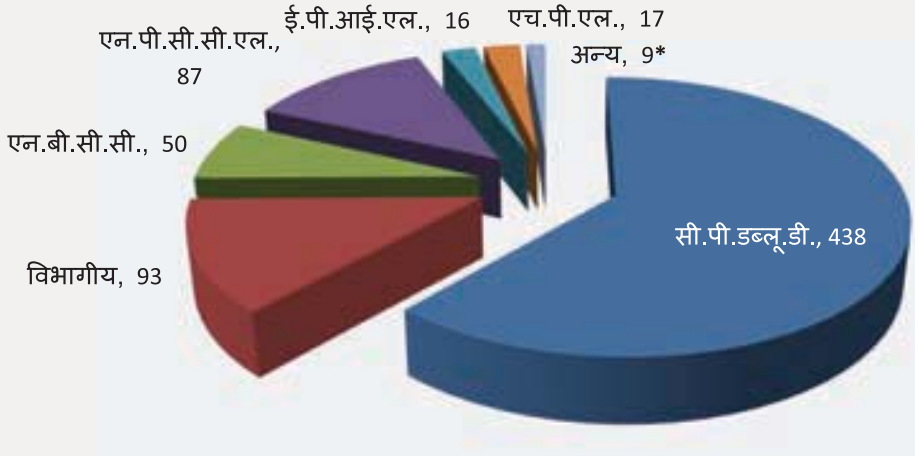

अन्य, 9*: डी.एम.आर.सी.-1, जे.के.पी.सी.सी.-1, ई.सी.बी.-1, यू.पी.जे.एन.-6

लेखापरीक्षा में उपर्युक्त पैरामीटरों के लिए लेखापरीक्षा जांच के दौरान डाटा एकत्र किया गया और डाटा का निर्णायक रूप से विश्लेषण किया गया जो अनुवर्ती पैराओं में स्पष्ट किए गए हैः

5.1 कार्यकारी एजेंसियों द्वारा प्राथमिक अनुमानों (पी.ई.) का तैयार किया जाना और सी.ए.पी.एफ. को प्रस्तुतीकरण

यद्यपि सी.ए.पी.एफ. को कार्यकारी एजेंसियों द्वारा पी.ई. तैयार करने और प्रस्तुतीकरण हेतु कोई मानक समय ढांचा विद्यमान नहीं है परन्तु लेखापरिक्षित सभी कार्यों से पी.ई. के प्रस्तुतीकरण में कार्यकारी एजेंसियों द्वारा लिए गए औसत समय के रूप में लेखापरीक्षा में 5 माह निकाला गया। इस प्रकार जिन कार्यों में पी.ई. तैयार करने में पॉच माह से अधिक समय लिया नीचे चित्रित हैः

चार्ट 5.2: पी.ई. 5 माह के औसत समय से अधिक विलम्बित कार्यों की प्रतिशतता

शीर्षकः कार्यकारी एजेंसी (महीनों में औसत विलम्ब), मामलों का प्रतिशत

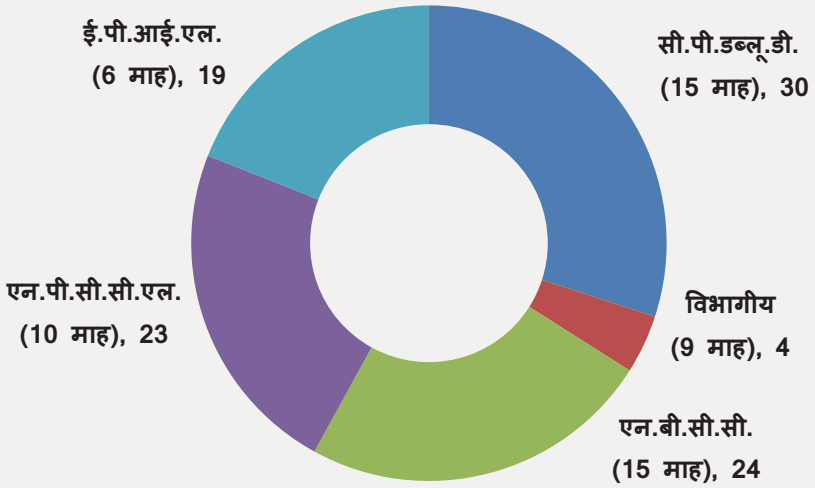

सी.ए.पी.एफ. को पी.ई. प्रस्तुत करने में सी.पी.डब्लू.डी. तथा एन.बी.सी.सी. ने अपने 30 तथा 24 प्रतिशत कार्यों में औसतन 15 माह का समय लिया जबकि एन.पी.सी.सी.एल. तथा ई.पी.आई.एल. ने अपने 23 तथा 19 प्रतिशत कार्यों में क्रमशः 10 तथा 6 माह लिए। यद्यपि सी.ए.पी.एफ. की अपनी स्वयं की इंजीनियरी शाखा है, स्वयं पी.ई. तैयार करने चाहिए परन्तु कुल विभागीय कार्यों के चार प्रतिशत में भी औसतन 9 माह के पी.ई. विलम्ब से प्रस्तुत किए। पी.ई. तैयार करने और प्रस्तुतीकरण में विलम्ब ने परियोजना के आरंभ से ही अन्तिम तिथि को आगे धकेल दिया।

5.2 निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में विलम्ब

चार्ट 5.3: कार्यों की संख्या जहाँ निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में 6 माह से अधिक विलम्ब हुआ था।

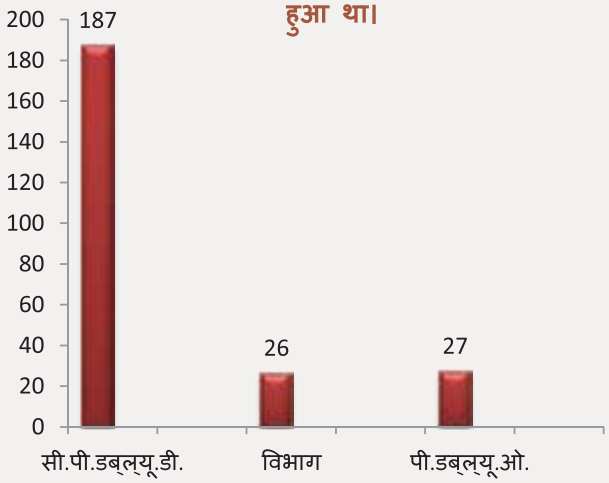

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सी.पी.डब्लू.डी. विभागीय कार्यों और पी.डब्लू.ओ. में कार्य सौंपने में अधिक विलम्ब हुए थे। जहाँ तक कार्यकुशलता का संबंध है कार्यकारी एजेंसियों द्वारा स्वयं के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया था। कार्य सौंपने के लिए छः माह का तर्कसंगत समय ढांचा (उच्च सीमा) अनुमत करने के बाद विलम्ब की ए.ए. एवं ई.एस. के अनुमोदन की तारीख से कार्य सौंपने तक गणना की गई थी। जांचित 710 कार्यों में से 681 कार्य ठेकेदारों को सौंपे गए थे जबकि शेष 29 कार्यों[1] के लिए ए.ए. एवं ई.एस. की संस्वीकृति के बाद दिसम्बर 2014 तक निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई थीं। 681 कार्यों की लेखापरीक्षा जांच में आगे पता चला कि ₹1161.10 करोड़ वाले 240 कार्यों (33.8 प्रतिशत) में ठेकों के सौंपने में 6 माह से अधिक विलम्ब हुए थे जो ए.ए./ई.एस. की संस्वीकृति की तारीख से 7 से 90 माह के बीच थे जैसा साथ के चार्ट में चित्रित है।

कार्यों को सौंपने में विलम्ब को कार्यकारी एजेंसियों द्वारा परिवर्तनों के लिए निर्णय/अनुमोदन की विलम्बित प्राप्ति, ड्राइंग तथा डिजाइनों, विस्तृत अनुमानों की विलम्बित तैयारी, निधियों की अनुपलब्धता और पुन:निविदा आमंत्रण आदि को आरोपित किया गया था।

यह स्पष्ट है कि पी.डब्लू.ओ. जिसमें एन.बी.सी.सी. (8 कार्य), एन.पी.सी.सी.एल. (7 कार्य), ई.पी.आई.एल. (5 कार्य), यू.पी.जे.एन. (5 कार्य), एच.पी.एल. तथा डी.एम.आर.सी. प्रत्येक एक कार्य और विभागीय कार्य शामिल हैं, की तुलना में सी.पी.डब्लू.डी. ने अधिक समय लिया। कार्यों के सौंपने में विलम्ब के कारण उनके समापन में विलम्ब हुआ जिसका अन्ततः परिणाम लागत अधिमानों में हुआ।

[1] 29 कार्य अनुबंध 1.3 में मोटे अक्षरों में दिखाया गया है

5.3 कार्यकारी एजेंसियों द्वारा एन.आई.टी. जारी करने से पूर्व स्थानीय प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन नहीं लेना।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि सभी कार्यकारी एजेंसियों अर्थात सी.पी.डब्लू.डी., पी.डब्लू.ओ. और सी.ए.पी.एफ. ने लगभग सभी कार्यों में एन.आई.टी. जारी करने से पूर्व जहां अनुमोदन आवश्यक था, स्थानीय प्रधिकरणों से अनुमोदन नहीं लिए गए थे, जैसा तालिका 5.1 से स्पष्ट है।

तालिका 5.1: कार्यकारी एजेंसियों द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों से लिए गये अनुमोदनों के ब्यौरे

कार्यकारी एजेंसी	चयनित कुल कार्य	कुल कार्य जिनके लिए एन.आई.टी. जारी करने से पूर्व अनुमोदन अपेक्षित थे	एन.आई.टी. जारी करने से पूर्व अनुमोदन नहीं लिया जाना
सी.पी.डब्लू.डी.	438	170	168 (99%)
विभागीय	93	31	26 (84%)
एन.बी.सी.सी.	50	31	19 (61%)
एन.पी.सी.सी.एल.	87	87	87 (100%)
ई.पी.आई.एल.	16	16	16 (100%)
एच.पी.एल.	17	17	17 (100%)
अन्य*	9	8	8 (100%)
जोड़	**710**	**360**	**341**

***डी.एम.आर.सी.-1, जे.के.पी.सी.सी.-1, ई.सी.बी.-1, यू.पी.जे.एन.-6**

कार्यों की एन.आई.टी. जारी करने से पूर्व स्थानीय प्राधिकरणों से केवल 39 प्रतिशत में एन.बी.सी.सी. और 16 प्रतिशत विभागीय कार्यों में सी.ए.पी.एफ. ने अनुमोदन लिए थे। यह स्पष्टतया दर्शाता है कि कार्यकारी एजेंसियों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और आरम्भिक योजना के लिए पर्याप्त समय के बावजूद अपेक्षित अनुमोदन नहीं लिए थे।

5.4 मदों/अतिरिक्त मदों/प्रतिस्थापित मदों में विचलन

लेखापरीक्षा ने कार्यकारी एजेंसियों द्वारा कार्यों में निष्पादित मदों की मात्राओं में बड़े पैमाने पर विचलन पाया जैसा नीचे चित्रित हैः

चार्ट 5.4: कार्यों की प्रतिशतता जहां विचलन, अतिरिक्त मदें और प्रतिस्थापित मदें निष्पादित की गई थीं

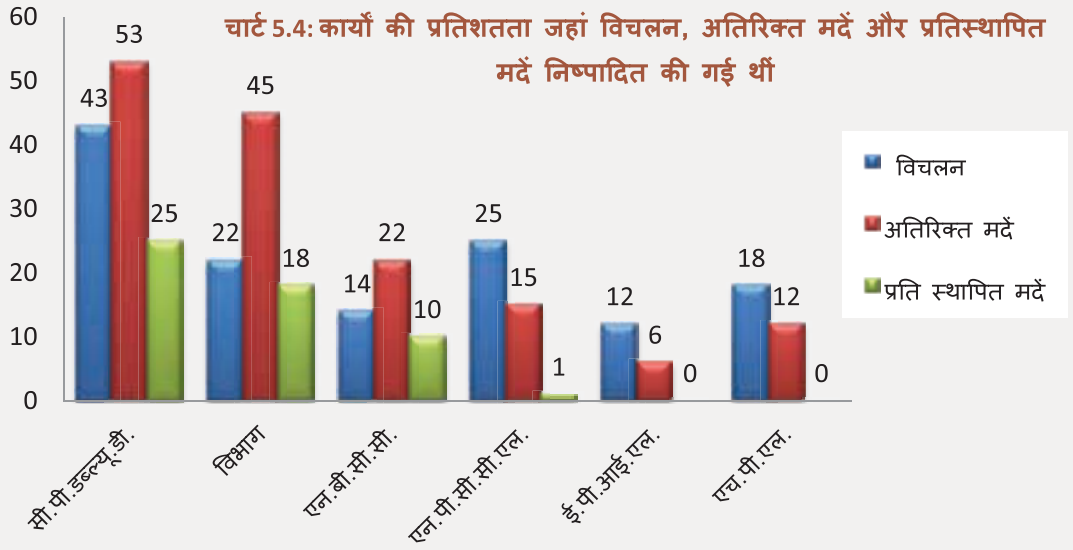

यद्यपि कार्य में स्वीकार्य विचलन नींव कार्यों में 100 प्रतिशत और भवन कार्यों में 30 प्रतिशत है परन्तु कोई भी कार्यकारी एजेंसी प्रतिबन्ध शर्त पर रुक नहीं सकी। लेखापरीक्षा ने देखा कि सी.पी.डब्लू.डी. के कार्यों में अधिक विचलन थे उसके बाद विभागीय कार्यों और एन.पी.सी.सी.एल. द्वारा निष्पादित कार्यों में थे। कार्यकारी एजेंन्सियों ने बताया कि कार्यों में विचलन स्थल स्थिति, ड्राइंग के अनुसार संरचनात्मक आवश्यकता और ग्राहक द्वारा क्षेत्र में परिवर्तन के कारण थे। सबसे बड़ी और पुरानी कार्यकारी एजेंसी होने पर सी.पी.डब्लू.डी. ने अब तक मूल योजनाओं में अनेक परिवर्तनों का सहारा लिया। सभी मामलों में कुल विचलनों के परिणामस्वरूप ₹83.88 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई। यह इस तथ्य का संकेतक है कि विस्तृत अनुलग्नक में उल्लेखित मदों को मंगाएं विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित और स्थल स्थितियों के अनुसार वास्तविक नहीं थीं।

एजेंसियों ने कार्यों में बड़ी संख्या में अतिरिक्त तथा प्रतिस्थापित मदों का भी निष्पादन किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सी.पी.डब्लू.डी. द्वारा निष्पादित 53 प्रतिशत कार्यों और 45 प्रतिशत विभागीय कार्यों में क्रमशः ₹23.62 करोड़ तथा ₹0.97 करोड़ कीमत की अतिरिक्त मदों का उपयोग कया गया था। 6 से 22 प्रतिशत के बीच पी.डब्लू.ओ. कार्यों के मामले में ₹5.35 करोड़ कीमत की अतिरिक्त मदों का उपयोग किया गया था। इस प्रकार सी.पी.डब्लू.डी. तथा अपनी स्वयं की इंजीनियरी शाखा रखने वाले सी.ए.पी.एफ.

द्वारा निष्पादित कार्यों में अतिरिक्त मदें अधिक उपयोग की गई थीं। कार्यकारी एजेंसियों ने बताया कि अतिरिक्त मदों का निष्पादन स्थल की आवश्यकता, अनुबन्ध में शामिल न की गई मद, ड्राइंग के अनुसार संरचनात्मक आवश्यकता और भवन को कार्यात्मक बनाने के लिए निष्पादित मदों को आरोपणीय था। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि डी.ई. तैयार करते समय इन पर विचार नहीं किया गया था। इसी प्रकार लेखापरीक्षा में देखा गया कि सी.पी.डब्लू.डी. (25 प्रतिशत) और विभागीय कार्यों में सी.ए.पी.एफ. (18 प्रतिशत) ने क्रमशः ₹10.19 करोड़ तथा ₹0.34 करोड़ कीमत की प्रतिस्थापित मदों का उपयोग किया। पी.डब्लू.ओ. के मामले में केवल एन.बी.सी.सी. ने 10 प्रतिशत कार्यों में ₹0.24 करोड़ लागत की प्रतिस्थापित मदों का उपयोग किया। कार्यकारी एजेंसियों द्वारा अतिरिक्त प्रतिस्थापित मदों के निष्पादन का परिणाम न केवल योजनाओं से विचलनों बल्कि कार्यों की लागत में वृद्धि के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार में भी हुआ।

5.5 कार्यकारी एजेंसियों द्वारा कार्य के समापन में समग्र विलम्बः

लेखापरीक्षा ने देखा कि जांचित 710 कार्यों में से 405 कार्य व्यक्तिगत निविदा में मानक सेट तक विलम्बित थे। यह एक माह (एक माह से कम को हिसाब में नहीं लिया गया) से 66 माह तक के बीच था। लेखापरीक्षा में विलम्बों को अन्तिम तिथि अप्राप्त सभी मामलों और 14 माह से अधिक के चिरकालिक विलम्बों (405 कार्यों में औसत 14 माह विलम्ब होने पर) में विभक्त किया गया। यह संगणना केवल प्रदर्शन प्रयोजन हेतु की गई थी जैसा नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 5.5: कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य के समापन में विलम्ब

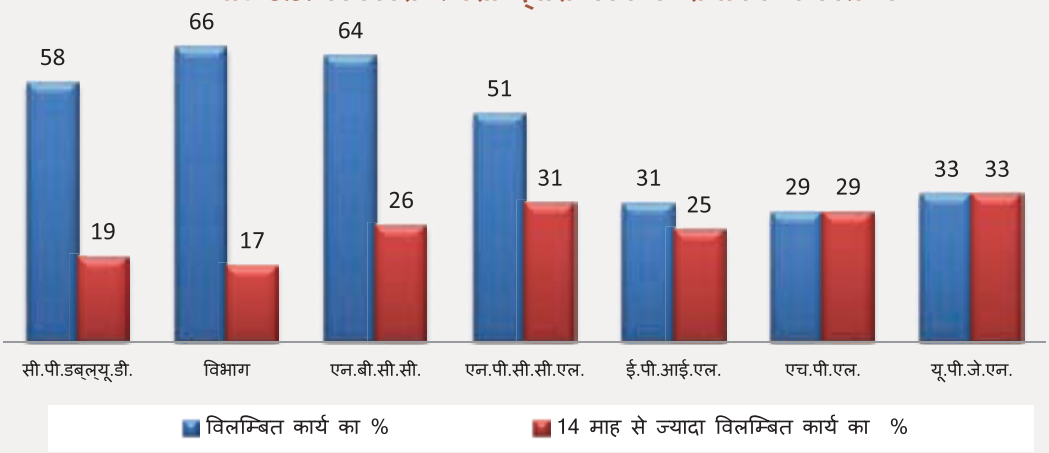

यह देखा गया था कि सी.पी.डब्लू.डी. द्वारा निष्पादित 58 प्रतिशत कार्यों में 1 से 66 माह तक के बीच कार्य के समापन में विलम्ब हुए थे। विभागीय रूप से किए गए कार्यों,

जहाँ सी.ए.पी.एफ. ने सीधे ठेकादार से लेन देन किया, ने भी विलम्ब दर्शाए। इससे यही समझ में आता है कि सभी एजेंसियां लगभग बराबर बैठती हैं जब कार्य समापन में विलम्ब की बात आती है। कार्यकारी एजेंसियों ने बताया कि विलम्ब मुख्यतया स्थल सौंपने में विलम्ब/निर्णय न करने, ड्राइंग तथा भवन योजनाओं में परिवर्तन/तैयार न करने आदि के कारण थे। कार्य के समापन में विलम्ब के परिणामस्वरूप लागत सूचकांक बढ़ने के कारण लागत बढ़ोतरी हुई जिसके कारण राजकोष पर परिहार्य वित्तीय भार पड़ा।

5.6 विलम्बित निष्पादन के कारण लागत में बढ़ोतरी

लेखापरीक्षा में कार्यकारी एजेंसियों द्वारा कार्यों के समापन में विलम्बों के कारण लागत वृद्धियां देखी जैसा नीचे चित्रित हैः

चार्ट 5.6: पी.डब्लू.ओ. के पूर्ण किए गए कार्यों में लागत में बढ़ोतरी

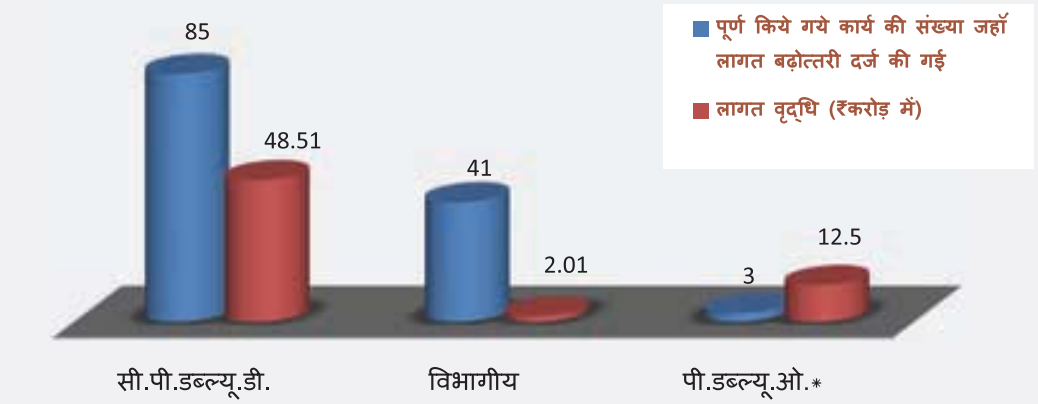

पी.डब्लू.ओ.* में एन.बी.सी.सी. (2 कार्य, ₹12.0 करोड़) तथा डी.एम.आर.सी.(1 कार्य, ₹0.49 करोड़)

यह देखा गया था कि 129 पूर्ण कार्यों में ₹63.02 करोड़ की लागत बढ़ोतरी हुई थी। लागत में बढ़ोतरी सी.पी.डब्लू.डी. और विभागीय कार्यों में अधिक पाई गई थी जिसे विलम्बों, विचलन और अतिरिक्त मदों से जोड़ा जा सकता है। लेखापरीक्षा में सी.पी.डब्लू.डी. द्वारा निष्पादित कार्यों और विभागीय कार्यों में बड़े पैमाने पर विचलन और अतिरिक्त मदों का निष्पादन देखा गया। विलम्ब मुख्यतया स्थल के सौंपने/निर्णय करने में विलम्ब, ड्राइंग तथा भवन योजना में परिवर्तन/तैयार न करना, विन्यास योजना में परिवर्तन, भारी वर्षा, स्थल की दूरस्थता (पूर्वोत्तर राज्यों में), लगातार बन्द, श्रम संकट, अन्य राज्यों (पूर्वी राज्यों) से स्थानान्तरित श्रम पर प्रतिबन्ध आदि के कारण थे।

5.7 कार्यों के समापन बाद बचतें

लेखापरीक्षा में अनेक कार्यों में समापन बाद कार्यकारी एजेंसियों द्वारा बचतें देखी गईं जैसा कि नीचे चित्रित हैः

चार्ट 5.7: बचत वाले पूर्ण कार्य

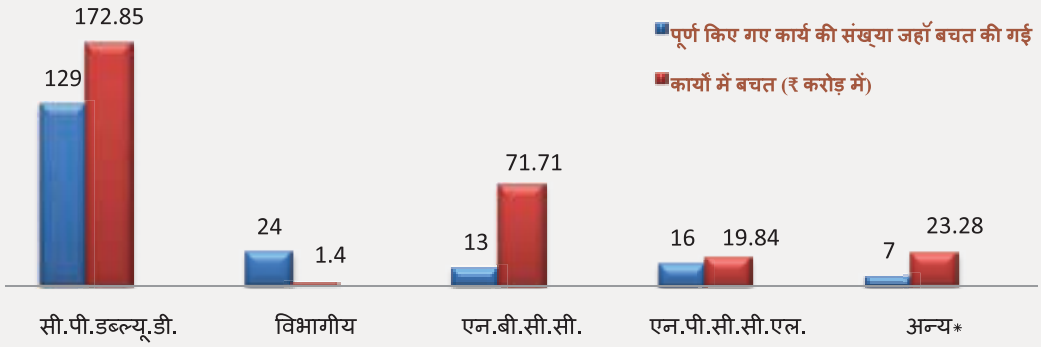

***अन्य में ई.पी.आई.एल. (5 कार्य, ₹6.02 करोड़), एच.पी.एल. (1 कार्य, ₹5.58 करोड़) तथा जे.के.पी.सी.सी. (1 कार्य, ₹11.68 करोड़) शामिल हैं।**

सभी कार्यकारी एजेंसियों द्वारा निष्पादित 189 पूर्ण कार्यों में ₹289.08 करोड़ की बड़ी बचतें हुई थीं। सी.पी.डब्लू.डी. में 129 कार्यों में ₹172.85 एन.बी.सी.सी. में 13 कार्यों में ₹71.71 करोड़ तथा एन.पी.सी.सी.एल. में 16 कार्यों में ₹19.84 करोड़ की विशाल बचतें देखी गई थीं।

लागत वृद्धि तथा बचतों की तुलना करते समय यह देखा गया था कि ये दोनों कारक परस्पर विशिष्ट अर्थात भिन्न कार्यों में होने वाले थे। यह बताया गया कि बचतें विभाग द्वारा प्लिंथ क्षेत्र की गलत गणना, ड्राइंग का संशोधन, प्लिंथ क्षेत्र में वृद्धि, अनुमानों का संशोधन, स्थल स्थितियों आदि के कारण थीं। यह स्पष्टतया दर्शाता है कि कार्यकारी एजेंसियों द्वारा तैयार तथा प्रस्तुत अनुमान या तो अधिक थे अथवा कुछ मदें यथा योजित कार्यों में निष्पादित नहीं की गई थीं। एम.एच.ए. तथा सी.ए.पी.एफ. ने भी उचित विश्लेषण तथा सत्यापनों बिना बढ़ा चढ़ा कर बताए गए अनुमानों को अनुमोदित किया जिसने बजट बनाने तथा व्यय संस्वीकृतियों में खराब वित्तीय नियंत्रण को दर्शाया।

5.8 मामला अध्ययन

एक व्याख्यात्मक उदाहरण जिसमें कार्यकारी एजेंसी ने अनेक चरणों पर भूल की, नीचे दिया गया हैः

ग्रुप सेंटर ग्रेटर नोएडा में सी.आर.पी.एफ. के 4 नग 240 आदमी बैरकों के निर्माण का कार्य मई 2006 में एन.बी.सी.सी. को दिया गया था। एन.बी.सी.सी. ने मई 2006 में बैरकों के लिए ₹14.48 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत किया। ए.ए. एवं ई.एस. की तारीख से 18 माह तक समापन की निर्धारित अवधि के साथ एम.एच.ए. द्वारा जनवरी 2007 में ए.ए. एवं ई.एस. को मंजूरी दी थी। कार्य वास्तव में जनवरी 2010 में पूर्ण हुआ था और विद्युत, सीवेज तथा विकास कार्यों बिना सी.आर.पी.एफ. द्वारा एन.बी.सी.सी. से ले लिया गया था। स्थानीय प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन जून 2015 तक भी प्राप्त नहीं किए गए थे और सम्बद्ध विकास कार्य पूर्ण नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा में देखा कि एन.बी.सी.सी. ने अनेक चरणों पर कार्य निष्पादन के दौरान चूक की जैसाकि रेखाचित्र में नीचे स्पष्ट किया गया है।

सी.आर.पी.एफ. ने अपने उत्तर (जून 2015) में अभ्युक्ति स्वीकार कर ली और बताया कि कार्य अपरिहार्य स्थितियों यथा एम.एच.ए. से संशोधित संस्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब/बाजार में अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि, स्थानीय प्राधिकरणों से विन्यास योजना (एल.ओ.पी.) तथा भवन योजना का अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब के कारण विलम्बित था। ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के लिए ₹1.27 करोड़ की शास्ति/एलड़ी एन.बी.सी.सी. से पहले ही वसूल की जा चुकी थी। उन्होंने आगे बताया कि एन.बी.सी.सी. को स्थानीय प्राधिकरणों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कई बार निर्देश

दिया गया था परन्तु प्रत्येक चरण पर प्रशासनिक समस्याओं के कारण स्थानीय प्रधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने में उचित विलम्ब हुआ था। वर्तमान में स्थानीय प्राधिकरणों से एल.ओ.पी./पर्यावरण निर्बाधन का अनुमोदन प्राप्त किया गया है और भवन योजना का अनुमोदन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से प्रगति पर है। चूंकि बैरकों का निर्माण जनवरी 2010 में पूर्ण हो गया था और विकास एवं अधिकांश सेवाओं (सिविल) की संस्वीकृतियां 03/12/2009 को प्राप्त हो गई थीं परन्तु एम.ओ.यू. के अनुसार विकास एवं अधिकांश सेवाओं (सिविल) के कार्य के समापन हेतु समापन अवधि 24 महीने थी। जवानों के लिए इन निर्मित बैरकों की उचित उपयोगिता को ध्यान में रखकर निर्मित ढांचें को हानि से बचाने एवं बेहतर जीवन के लिए विकास एवं अनिकाश सेवाओं (सिविल) के प्रति ₹4.22 लाख का व्यय किया गया है।

इस प्रकार उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि ₹14.48 करोड़ की लागत से जनवरी 2007 में संस्वीकृत कार्य जो जून 2008 तक पूर्ण किए जाने को नियत था, ₹17.49 करोड़ के अन्तिम व्यय से अन्ततः जनवरी 2010 में पूर्ण हुआ था जिसके परिणामस्वरूप न केवल 18 महीनों का अधिक समय लगा बल्कि ₹3.01 करोड़ का लागत बढ़ोतरी भी हुई। इसके अलावा एन.बी.सी.सी. द्वारा सी.आर.पी.एफ. को सौंपी गई बैरकें मूल सुविधाओं जैसे विद्युत तथा सीवेज प्रणाली आदि के बिना थीं जिसके कारण जवानों को अस्थाई प्रबन्ध करने पड़े थे।

5.9 उपसंहार

निर्माण कार्यकलापों का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानदण्डों के आधार पर कार्यकारी एजेंसियों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह देखा गया कि एजेंसियां एक समान थीं जब दक्षताओं के भिन्न मानदण्डों पर तुलना की गई। प्राथमिक अनुमान तैयार करने और निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में विलम्ब सभी पी.डब्लू.डी. में देखे गए थे जबकि सी.पी.डब्लू.डी. ने अधिकतम विपथगमन दर्शाए क्योंकि यह सबसे बड़ा पी.डब्लू.ओ. था और कार्यों की अधिकतम संख्या निष्पादित कर रहा था। सी.पी.डब्लू.डी. द्वारा आरम्भ किए गए निर्माण कार्यों की अधिकतम संख्या निष्पादित कर रहा था। सी.पी.डब्लू.डी. द्वारा आरम्भ किए गए निर्माण कार्यों ने लागत वृद्धि और उच्चतम बचतों के भी अधिकतम मामले दर्शाए जो कार्यों की सन्तोषजनक से कम वित्तीय योजना दर्शाता है। सी.पी.डब्लू.डी. में अधिक विचलन, अतिरिक्त मदें और प्रतिस्थापित मदें देखी गई थीं जिसका अनुशंसा विभागीय कार्यों में देखा गया। एक क्षेत्र जहाँ सी.ए.पी.एफ. बाहरी हस्तक्षेप बिना सुधार कर सकता है, वह विभागीय रूप से किए गए कार्य हैं।

अनुशंसा:

सी.ए.पी.एफ. विभागीय रूप से किए गए निर्माण कार्यों के लिए मानक निर्धारण करे क्योंकि यह कार्यों की योजना तथा निष्पादन के अनुसार अन्य पी.डब्लू.ओ. की तुलना में बेहतर नहीं था।